न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-360RAAJodhpur2023-161RTA225 Hanumanram Vs Vijaysingh etc

हनुमानराम पुत्र श्री गणपतलाल, जाति सीरवी, निवासी- चक नं. 3 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. विजयसिंह पुत्र स्व. श्री चेनाराम, निवासी- जैतिवास रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. पुष्पा पुत्री श्री गणपतलाल
3. इन्द्रा पुत्री श्री गणपतलाल
4. सुआ पत्नी गणपतलाल
   जातियान् सीरवी, निवासीगण- चक-3 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2020 हनुमानराम बनाम विजयसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री पंकज जोशी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री जगदीश विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2020 हनुमानराम बनाम विजयसिंह

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम बिलाड़ा चक-3 तहसील बिलाड़ा के खसरा नं. 564 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 566 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नं. 574 रकबा 0.8656 हैक्टेयर व खसरा नं. 594 रकबा 0.0405 हैक्टेयर के संबंध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के विचारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। पक्षकारान् के मध्य खसरा नं. 574 एवं 575 की पत्थरगढी व भूमि की पैमाईश व माठ व सीमाओं का निर्धारण का विवाद था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित खसरान् की सीमाएँ स्थित होने तथा राजस्व रेकर्ड दुरूस्त होने का आधार मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या एक ने

08·2·24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट की भूमि खसरा नं. 574 की सीमा को खुर्द-बुर्द कर दी तथा मेड़बंदी तोड़ दी। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा करवाया गया एकतरफा सीमाज्ञान शुरु से ही शून्य है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सीमाज्ञान के आधार पर आलौच्य आदेश पारित किये जाने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा आलौच्य आदेश की आड़ में अपीलांट की खातेदारी भूमि को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को खाने कमाने हेतु अपने व्यवसाय के सिलसिले में बैंगलोर में ही रहता है। इस कारण अपीलांट को आलौच्य आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो पायी। इसी दरम्यान अधिवक्तागण की हड़ताल एवं राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 10.08.2023 को उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 11.09.2023 को क्षेत्राधिकार के बिंदु पर खारिज कर दी गई। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा किसी विशेष उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए देरी नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं

10.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2015(1)आर.आर.टी. पेज 604,2011(1)आर.आर.टी. पेज 77, 2015(1)आर.आर.टी. पेज 608, 2017(1) आर.आर.टी. पेज 1084, 2021(1)सी.सी.सी. पेज 642, 2006(1)सी.सी.सी. पेज 619 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं कब्जा नहीं किया गया है तथा न ही उनके द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी की जा रही है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा 08.12.2020 को अपने खातेदारी खसरा नं. 575 का सीमांकन करवाया गया। उक्त सीमांकन में रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि पर अपीलांट अतिक्रमी होना पाया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पत्थरगढी की इस्तदुआ चाही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उभय पक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस एवं उपलब्ध अभिलेख से यह सामने आया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 111 एवं 128 के तहत विवादित आराजी की पत्थरगढी को लेकर प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा मुख्य विवाद बिंदु पत्थरगढी को लेकर है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा अदालत हाजा विचारण न्यायालय के मत से सहमत होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2020 हनुमानराम बनाम विजयसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.08.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर